न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 155/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. भागीरथराम पुत्र पोकरराम 2. हनुमानराम पुत्र पोकरराम 3. ब्रिजपाल पुत्र स्व0 जगमालराम 4. आशिसपाल पुत्र स्व0 जगमालराम 5. रवि पुत्र स्व0 जगमालराम (जाति विश्नोई निवासी ग्राम भाटा नगर तहसील लोहावट जिला फलौदी)		1. मनोहरराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई, निवासी ग्राम भाटा नगर, तहसील लोहावट, जिला फलौदी 2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट जिला फलौदी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी फलौदी (जोधपुर) प्रकरण सं0 04/2019 आदेश दिनांक 06.02.2019

उपस्थिति –
1. श्री पूनाराम विश्नोई, वकील अपीलांट्स
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, वकील रेस्पो0 सं0 1
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

निर्णय

दिनांक 22.07.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 के तहत प्रस्तुत कर तहसील लोहावट के ग्राम भाटा नगर स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 1877/1 रकबा 40.15 बीघा भूमि की नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी करवाने हेतु आग्रह किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.02.2019 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 के उल्लेखित खसरान की भूमि की नेखमबंदी/पत्थरगढी करवाने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अनुमति हेतु अंतर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रा0प0 मय श0प0 प्रस्तुत किये गये। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। दौरान बहस अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थीगण ग्राम भाटा नगर के खसरा नं0 1877/2, 1877/3 व 1877/4 के रेकर्डेड खातेदार है, उक्त भूमि के चिपते पड़ौस में प्रत्यर्थी सं0 1 की खसरा नं0 1877/1 की भूमि स्थित है। इसके बावजूद प्रत्यर्थी सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उसे पक्षकार नही बनाया गया व उक्त आदेश को 5 साल तक दबाये रखा गया। उक्त खसरे मूल खसरा नं0 1877 के ही भाग है। इसलिए जब तक खसरा नं0 1877/1, 1877/2, 1877/3 व 1877/4 इन सभी खसरान की विधिवत निर्विवादित रूप से पैमाईश नही की जाती है, तब तक केवल प्रत्यर्थी सं0 1 के खसरा नं0 1877/1 की पत्थरगढी नही की जा सकती। यदि खसरा नं0 1877/1 की अकेले की पत्थरगढी की जाती है तो अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि मौके पर कम पड़ जायेगी।

राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 111 में निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट सभी पक्षकारों की मौजूदगी में प्राप्त होने की स्थिति में उपखण्ड अधिकारी धारा 128 में बरसाती सीजन को छोडकर पत्थरगढी करवाने का आदेश पारित कर सकता है। धारा 111 व 128 में प्रभावित पक्षकारों को पक्षकार बनाया जाना व उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। केवल मात्र तहसीलदार को पक्षकार बनाकर एक तरफा आदेश पारित नही किया जा सकता है। प्रत्यर्थी सं0 1 अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलार्थीगण को उसके उल्लेखित खसरान की भूमि से बेदखल कर, येनकेन प्रकारेण सड़क पर आना चाहते है, जबकि प्रत्यर्थी सं0 1 की भूमि वर्तमान नक्शे अनुसार सडक से पहले ही पूर्ण हो जाती है। सडक व प्रत्यर्थी सं0 1 की भूमि के मध्य अपीलार्थीगण की खातेदारी खसरा नं0 1877/4 की भूमि स्थित है। अपीलाधीन आदेश की आज दिन तक पालना नही हुई है, प्रत्यर्थी सं0 2 उक्त आदेश की पालना करने हेतु आमदा है। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित एवं विधिविरूद्ध होने से अपास्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में प्रत्यर्थी सं0 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील प्रीमेच्योर पेश की गई है, क्योकिं अधीनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय द्वारा पत्थरगढी का जो आदेश पारित किया है, उस आदेश के अनुसरण में मौके पर आज तक पत्थगढी नही की गई है। अतः अपीलांट्स के हित अधिकार प्रभावित नही होने से अपील एवं स्थगन खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्थरगढी का आदेश दोनो पक्षों को सुनकर पारित किया गया है। दरअसल प्रत्यर्थी सं0 1–मनोहरराम ने अपीलांट्स वगैराह के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी फलौदी के समक्ष राजस्व वाद संख्या 74/2005 अंतर्गत धारा 88, 53, 188 आरएलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया था। जो दिनांक 07.11.2005 को बंटवाडे की डिक्री के रूप में निर्णित हुआ एवं रेस्पो0/प्रत्यर्थी का 1/3 हिस्सा यानि 40.15 बीघा भूमि बंटवाडे के रूप में प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित होने के बाद रेस्पो0 ने बंटवाडे से प्राप्त भूमि प्राप्त करने हेतु कई बार तहसील कार्यालय में कार्यवाही की गई, लेकिन अपीलांट्स बार–बार येनकेन प्रकारेण उसमें दखलअंदाजी करते रहे। उसके बाद रेस्पो0सं0 1 द्वारा पुनः अंतर्गत धारा 111 आरएलआर एक्ट के तहत पत्थरगढी का आवेदन किया, ताकि बंटवाडे में उसके हिस्से की भूमि उसे प्राप्त हो सके। उक्त पत्थरगढी के आवेदन में अपीलांट्स को नोटिस दिया जाकर उसकी सुनवाई कर ली गई थी। जिसके बाद से आज दिन तक पत्थरगढी हेतु मौके का नापचौक नही किया गया। इससे पहले ही अपीलांट्स ने बिना वाद कारण के उक्त अपील महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर, एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, ताकि विधि अनुरूप जो जमीन रेस्पो0 प्राप्त करने का अधिकारी है, उसे वह प्राप्त नही कर सके। अतः कानूनन अंतर्गत आदेश 39 नियम 03–ए सीपीसी व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत AIR 2000 पेज 3032 एवं RRT 2022-23 (SUP) पेज 108 में प्रतिपादित सिद्धांतों के दृष्टिगत उक्त अपील में पारित स्थगन आदेश 30 से अधिक नही बढाये जाने का मेन्डेट है। अतः अपील मय स्थगन खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 2 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पो0 सं0 1 के अधिवक्ताओं की इस्तदुआ पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

मनन किया गया। चूंकि इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड प्राप्त नही होने से बहस के निष्कर्श तक पंहुचने में मदद नही मिली तथा दोनों ही पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने हेतु आश्वस्त करते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया है। इस स्थिति में उक्त वाद को अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन रखना न्यायोचित नही समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी (जोधपुर) द्वारा प्रकरण सं0 04/2019 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2019 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी लोहावट** को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट्स एवं रेस्पो0 सं0 1 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु पुनः विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 22 जुलाई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

22.07.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर